न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024 / 57(प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 20.05.2024**

उनवान

1. शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. सागर कुमार (नाबालिग) पुत्र बृजमोहन, जाति मीणा,
3. सोनाली (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा
4. ईशिता (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा
   जरिये वली माता श्रीमती शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. संतोष कंवर पत्नी रामकिशन, जाति मीणा
3. रामप्यारी बेवा रामनारायण, जाति मीणा
4. धनराज आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा
5. हीरालाल आत्मज देवीलाल, जाति मीणा
   अकवाम निवासीगण भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
6. इन्द्राबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी अनवतखेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
7. सोहन बाई पुत्री रामनारायण पत्नी भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
8. राजू बाई पुत्री रामनारायण पत्नी राजाराम, जाति मीणा, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड राजस्थान
9. गायत्रीबाई पुत्री रामनारायण पत्नी धनराज, जाति मीणा, निवासी किशनपुरा, जिला झालावाड राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024 / 58(काउंटर क्लेम) **दायरा दिनांक : 20.05.2024**

उनवान

1. शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. सागर कुमार (नाबालिग) पुत्र बृजमोहन, जाति मीणा,
3. सोनाली (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा
4. ईशिता (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जरिये वली माता श्रीमती शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. संतोष कंवर पत्नी रामकिशन, जाति मीणा
3. रामप्यारी बेवा रामनारायण, जाति मीणा
4. धनराज आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा
5. हीरालाल आत्मज देवीलाल, जाति मीणा
   अकवाम निवासीगण भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
6. इन्द्राबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी अनवतखेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
7. सोहन बाई पुत्री रामनारायण पत्नी भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
8. राजू बाई पुत्री रामनारायण पत्नी राजाराम, जाति मीणा, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड राजस्थान
9. गायत्रीबाई पुत्री रामनारायण पत्नी धनराज, जाति मीणा, निवासी किशनपुरा, जिला झालावाड राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 25.03.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 632/दावा/2010 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भावपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा, तहसील झालरापाटन के खाता संख्या 43 की आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 255 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 280 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्ब्र 284 रकबा 3 बीघा कुल 9 किता कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा में वादीगण का हिस्सा 3/8 है। ग्राम भावपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा, तहसील झालरापाटन के खाता संख्या 44 की आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 233 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 234 रकबा 2 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 4 बीघा में वादीगण का हिस्सा 3/8 है। ग्राम भावपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा, तहसील झालरापाटन के खाता संख्या 45 की आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण का हिस्सा 1/4 है। ग्राम भावपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा, तहसील झालरापाटन के खाता संख्या 46 की आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में वादीगण का हिस्सा 1/2 है। ग्राम भावपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा, तहसील झालरापाटन के खाता संख्या 48 की आराजी खसरा नम्बर 223 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा में वादीगण का हिस्सा 1/2 है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2024 से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम साबित नहीं होने से खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा व जवाबदावा के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के मामले में कोई तनकीयात कायम नहीं की और विवादित मामले में रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का वाद डिकी करने में एवं अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत किया है, दस्तावेजों व साक्ष्यों का उचित विवेचन नहीं किया है जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा यह कथन किया है कि विवादित आराजी के मामले में करीब 20 वर्ष पहले बंटवारा हो चुका है, ऐसी स्थिति में कानूनन रेस्पोडेंट कम 1 व 2 आराजी का पुनः बंटवारा कराने को एस्टोप्ड है। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नहीं फरमाया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 5 बीघा में निहित अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से को 40,000/– चालीस हजार रूपये में दिनांक 25.04.1999 को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 11 के पूर्वज रामनारायण को खातेदारान 40,000/- चालीस हजार रुपये में बेचान कर के कब्जा दे दिया था तब से अर्थात रामनारायण के जीवनकाल से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 11 काबिज चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर की आराजी का बंटवारा करवाने के लिये वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर उचित गौर नहीं फरमाया। विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से का धनराज वगैरहा ने दिनांक 25.01.1999 को 20,000/- बीस हजार रूपये में रामनारायण आत्मज सीताराम को बेचकर कब्जा दे दिया था तब से एवं रामनारायण की मृत्यु के बाद भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 11 उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नहीं फरमाया। अपील के पैरा संख्या 5 व 6 में अंकित तथ्यों के अनुसार रामनारायण के द्वारा क्रय की गई आराजी के मामले में विक्रेतागण का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहने से वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानकर निर्णय पारित कर दिया कि रामनारायण के द्वारा जो आराजी क्रय की गई है बेयनामा पंजीकृत नहीं होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती, यह भी माना की अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर काउंटर क्लेम साबित नहीं होने से खारिज होने योग्य है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा काउंटर क्लेम बाबत तनकी कायम नहीं की गई जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2024 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के बाबत तनकीयात कायम कर विधिवत तरीके से प्रकरण में पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.04.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 का दावा डिक्री किया है और हमारा काउंटर क्लेम खारिज किया है। एक व्यक्ति दो लोगों को आराजी का बेचान नहीं कर सकता है। अतः अपील रिमाण्ड की जाये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2024 अपास्त किया जावे। विद्वान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(1) पेज 740 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हम वादी थे। हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 व 188 का वाद पेश किया था। नकल जमाबंदी में हमारा 3/8 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी हमें 3/8 हिस्सा ही दिया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउंटर क्लेम गलत खारिज किया है। तनकी नम्बर 6 व 7 पूर्व से ही कायम है। इकरारनामे को खारिज करने हेतु दावा सिविल न्यायालय में पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। दस्तावेज के आधार पर ही तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने पूर्व में हुए विभाजन के दस्तावेज, निर्णय पेश नहीं किये हैं। इकरारनामे के आधार पर तीन वर्ष के भीतर पालना आवश्यक है। काउंटर मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 54–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद दायर कर ग्राम किशनपुरा की खाता संख्या 43 एवं ग्राम भावपुरा की खाता संख्या 44, 45, 46, 48 में दर्ज अपने हिस्से अनुसार विवादित आराजी का बंटवारा कर अपना खाता पृथक दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं जवाबदाया मय काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन करने के पश्चात वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम साबित नहीं होने से अपने निर्णय दिनांक 13.03.2024 से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 1 लगायत 17 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम भावपुरा, तहसील बकानी की खाता संख्या 43 कुल किता 9 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा में हिस्सा 3/8, खाता संख्या 44 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा में हिस्सा 3/8, खाता संख्या 45 की खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 283 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में हिस्सा 1/4, खाता संख्या 46 खसरा नम्बर 220 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा हिस्सा 1/2, खाता संख्या 48 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा में वादीगण का 1/2 हिस्सा पृथक–पृथक कर खाते दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार झालरापाटन ''राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955'' की अध्याय 04 में नियम 18–21 में प्रक्रिया अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे इस आशय का निर्णय पारित किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 1 लगायत 17 के अनुसार विधि सम्मत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दो अपीले प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 5 बीघा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से को 40,000/– रूपये में दिनांक 25.04.1999 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 11 के पूर्वज रामनारायण को बेचान कर कब्जा दे दिया था, तब से अर्थात रामनारायण के जीवनकाल से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 11 काबिज चले आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस खसरा नम्बर की आराजी व बंटवारा करवाने के लिये वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से को धनराज वगैराह ने दिनांक 25.01.1999 को 20,000/– रूपये में रामनारायण आत्मज सीताराम को बेचान कर कब्जा दे दिया था तब से एवं रामनारायण की मृत्यु के बाद भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 11 उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। रामनारायण के द्वारा क्रय की गई आराजी के मामले में विक्रेतागण का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहने से वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानकर की बेयनामा पंजीकृत नहीं होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती अपीलांट का काउंटर क्लेम साबित नहीं होने से खारिज किया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने काउंटर क्लेम बाबत तनकी कायम नहीं की जो अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2024 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के बाबत तनकीयात कायम कर विधिवत तरीके से प्रकरण में पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 6 व 7 के विवेचन में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के अनुतोष के कम में विधिवत विवेचन करते हुए तनकी नम्बर 6 व 7 प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों बयनामे दिनांक 25.04.1999 व दिनांक 25.01.1999 अपंजीकृत दस्तावेज होने के कारण प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध तय की है, जो विधि सम्मत है। अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं है। अपंजीकृत बयनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज करने में विधिक रूप से कोई त्रुटि नहीं की है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर स्वीकार किया है, जो सही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा पारित दोनों अपीले अपील संख्या 2024/57(प्राथमिक डिक्री) एवं 2024/58(काउंटर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज् अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2024 / 57
(प्राथमिक डिक्री)

1. शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. सागर कुमार (नाबालिग) पुत्र बृजमोहन, जाति मीणा,
3. सोनाली (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा
4. ईशिता (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा

जरिये वली माता श्रीमती शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान

.... **अपीलांट**

1. रामकिशन आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. संतोष कंवर पत्नी रामकिशन, जाति मीणा
3. रामप्यारी बेवा रामनारायण, जाति मीणा
4. धनराज आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा
5. हीरालाल आत्मज देवीलाल, जाति मीणा

अकवाम निवासीगण भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान

6. इन्द्राबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी अनवतखेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
7. सोहन बाई पुत्री रामनारायण पत्नी भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
8. राजू बाई पुत्री रामनारायण पत्नी राजाराम, जाति मीणा, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड राजस्थान
9. गायत्रीबाई पुत्री रामनारायण पत्नी धनराज, जाति मीणा, निवासी किशनपुरा, जिला झालावाड राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2024 / 58
(काउंटर क्लेम)

1. शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. सागर कुमार (नाबालिग) पुत्र बृजमोहन, जाति मीणा,
3. सोनाली (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा
4. ईशिता (नाबालिग) पुत्री बृजमोहन, जाति मीणा

जरिये वली माता श्रीमती शीला बेवा बृजमोहन, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान

.... **अपीलांट**

बनाम

1. रामकिशन आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान
2. संतोष कंवर पत्नी रामकिशन, जाति मीणा
3. रामप्यारी बेवा रामनारायण, जाति मीणा
4. धनराज आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा
5. हीरालाल आत्मज देवीलाल, जाति मीणा

अकवाम निवासीगण भावपुरा मजरा नयागांव, तहसील बकानी, जिला झालावाड राजस्थान

6. इन्द्राबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी अनवतखेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
7. सोहन बाई पुत्री रामनारायण पत्नी भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
8. राजू बाई पुत्री रामनारायण पत्नी राजाराम, जाति मीणा, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड राजस्थान
9. गायत्रीबाई पुत्री रामनारायण पत्नी धनराज, जाति मीणा, निवासी किशनपुरा, जिला झालावाड राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील नं. **2024/57, 2024/58** एवं नाराजगी डिक्री अदालत—**उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**
मु.द.नं **632/दावा/2010** निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक – **13.03.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 24 माह **02** सन् **2025**

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 व 2 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :—

अपीलांट द्वारा पारित दोनों अपीले अपील संख्या 2024/57 (प्राथमिक डिक्री) एवं 2024/58 (काउंटर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2024 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 25 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)